राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ4(ई)/द्वितीय ए.सी.पी./1994/अलेसे–III/12329–32 दिनांकः– 31–12–15

आदेश संख्या...166.../2015–16

श्री करण सिंह (मेरिट संख्या–508/94) लिंक नं. 2731 की कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि 28.06.1996 हैं। श्री करण सिंह ने कनिष्ठ लेखाकार पद पर 9 वर्ष की निरन्तर सेवा दिनांक 28.06.2005 को पूर्ण कर ली है, किन्तु श्री सिंह को निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर के आदेश संख्या 1267–72 दिनांक 17.06.2008 एवं जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 07.06.2008 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः श्री सिंह को दिये गये उपरोक्त दण्डादेशों के कारण राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.6(2)(एफडी)(रूल्स) 98/ दिनांक 17.02.1998 के अनुसरण में कनिष्ठ लेखाकार पद का प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (5500–175–9000) में दो वर्ष देरी से अर्थात दिनांक 28.06.2007 से स्वीकृत किया जाता है।

श्री करण सिंह, कनिष्ठ लेखाकार को वित्त विभाग के आदेश कमांक प01 (20) वित्त/ ग्रुप–2/92 दिनांक 23.04.1994 में दी हुई शर्तो के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति कमांक एफ.7(1) (डीओपी)/ क–2/95 दिनांक 20.06.2001 के कम में सन्तान संबंधी धोषणा प्राप्ति के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता हैं।

श्री करण सिंह के वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने पर गत नौ वर्षो में से सात वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार प्रथम चयनित वेतनमान इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जाने पर प्रकरण पुनः खोला जायेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान के बारे में निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

श्री करण सिंह का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 07.02.1998 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि कार्मिक को पूर्व में प्रथम चयनित वेतन मान स्वीकृत नही किया गया है तथा प्रथम चयनित वेतन मान देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक उपरोक्त दो परिनिन्दा दण्डादेश के अतिरिक्त कोई दण्ड नहीं दिया गया है तथा इनके विरूद्ध फोजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है एवं नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से कार्मिक की सेवा पुस्तिका में की जावे।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :– एफ4(ई)/द्वितीय ए.सी.पी. /1994/अलेसे–III/12329–32 दिनांकः– 31–12–15

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कोटपूतली।
2. श्री करण सिंह कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कोटपूतली।
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I) / एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि श्री करण सिंह, कनिष्ठ लेखाकार के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जावे तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
4. उपनिदेशक (एसीपी), वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
5. निजी / गार्ड फाईल।

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)